

एन्टी करप्शन ब्यूरो, छत्तीसगढ़ रायपुर

क्रमांक— पुअ/एसीबी/1367/2015, रायपुर

दिनांक :- 20/02/2015

प्रति,

क्षेत्रीय महाप्रबंधक,
भारतीय खाद्य निगम
मोवा रायपुर छ0ग0

विषय:— चावल का परीक्षण रिपोर्ट देने बाबत।

सन्दर्भ:— अपराध क्रमांक 09/2015 — राज्य आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो रायपुर।

विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित अपराध की विवेचना के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के विभिन्न कलेक्शन सेन्ट्रो मे संग्रहित आर.आर.चावल के सैम्पल निम्नानुसार संकलित किये गये, जिन्हे निम्नानुसार परिशिष्ट से कोडिंग की गयी हैं :-

1. NA - 1	से NA -55	कुल 55 पैकेट ✓
2. SKS- 1	से SKS -34	कुल 34 पैकेट ✓
3. CSD -1	से CSD -51	कुल 51 पैकेट ✓
4. BKT -1	से BKT -30	कुल 30 पैकेट
5. AS - 1	से AS -58	कुल 58 पैकेट
6. PX - 1	से PX -09	कुल 09 पैकेट

भारतीय खाद्य निगम
क्षेत्रीय कार्यालय
मोवा, रायपुर (छ. ग.)

26 FEB 2015

प्राप्त

उपरोक्तानुसार कुल 237 नग सैम्पल पृथक-पृथक सैन्ट्रो से प्राप्त किये गये हैं। आर.आर.चावल के उक्त सैम्पलों की जांच निर्धारित मानको के अनुसार की जा कर चावल की गुणवत्ता संबंधी रिपोर्ट शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करने करें-एवं साक्ष्य की दृष्टि से अन्य महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश मे आने पर रिपोर्ट प्रदान करने का कष्ट करें।

सरल क्रमांक 1, 2 एवं 3 के कुल 140 पैकेट सैम्पल चावल तदानुसार आपकी ओर जांच हेतु प्रेषित है।

नोट:— उपरोक्त सैम्पलों मे से

1. कण्डिका 4. मे उल्लेखित BKT -1 से BKT -30, कुल 30 पैकेट, भारतीय खाद्य निगम के श्री एस0के0 भाभोर (गु0नि0) को परीक्षण हेतु प्रदान किये जा चुके है।

सत्यापित प्रति

(एस.डी.देवस्थाले)
निरीक्षक इ.ओ.उपलब्ध / ए.सी.न

2. कण्डिका 5 मे उल्लेखित AS -1 से AS-58 कुल 58 पैकेट भारतीय खाद्य निगम के श्री विनय कुमार दीक्षित प्रबंधक (गु0नि0), को परीक्षण हेतु प्रदान किये जा चुके है।
3. कण्डिका 6 मे उल्लेखित PX -1 से PX -09 कुल 09 पैकेट भारतीय खाद्य निगम के श्री एन0सी0 वसावा प्रबंधक (गु0नि0) को परीक्षण हेतु प्रदान किये जा चुके है।


पुलिस अधीक्षक
एन्टी करप्शन ब्यूरो
छत्तीसगढ़ रायपुर

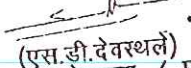
क्रमांक— पुअ/एसीबी/1367/2015, रायपुर

दिनांक :— 20/02/2015

प्रतिलिपि :—

1. श्री संजय देवस्थले निरीक्षक की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. श्री बृजेश तिवारी निरीक्षक की ओर परीक्षण उपरांत जांच रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु।
3. श्री प्रमोद खेस निरीक्षक की ओर परीक्षण उपरांत जांच रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु।
4. श्री अजितेश सिंह की ओर परीक्षण उपरांत जांच रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु।

\ 
पुलिस अधीक्षक
एन्टी करप्शन ब्यूरो
छत्तीसगढ़ रायपुर

सत्यापित प्रति

(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू/ए.सी.
रायपुर (छ.ग.)